



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1142 सन् 2026

राम अकबाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेंद्र प्रताप सिंह, संजय कुमार श्रीवास्तव

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।
2. रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को कार्रवाई के समान कारण पर एक नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

फरवरी 10, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"